

प्रायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी

मांक: रीडर/रास्ता/2025/197

दिनांक:- 16/4/2025

हसीलदार (राजस्व)

टिब्बी।

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र स0-36/2024 निर्णय दिनांक 15/4/25।

मि0न0 - 36/2024

अनुदान :-

1 काशीराम पुत्र नंदराम जाति मेघवाल निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
प्रार्थी

बनाम

1. साहबराम
2. बृजलाल
3. सादुलाराम
4. भूपसिंह
5. लीलुराम
6. सोमाराम
7. दीपाराम

पि0 भानीराम जाति मेघवाल निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ

8. चावली देवी पुत्री भानीराम पत्नी बलराम जाति मेघवाल निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (आदेश दिनांक 6.11.2024 के द्वारा शीर्षक से नाम हटाया गया)
9. सीमा देवी पुत्री भानीराम पत्नी गोपाल जाति मेघवाल निवासी नेजिया खेड़ा तहसील व जिला सिरसा (आदेश दिनांक 6.11.2024 के द्वारा शीर्षक से नाम हटाया गया)
10. वीरता देवी पत्नी सोमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
11. आईदान पुत्र भानीराम
12. बंशीलाल
13. मदनलाल
14. रामेश्वरी
15. गुलाब

पुत्र-पुत्रीयों बलवन्त जाति मेघवाल निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (आदेश दिनांक 06.11.2024 के द्वारा शीर्षक से नाम हटाया गया)

अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 106/2024 अनवान रामकुमार बनाम काशीराम आदि में निर्णय दिनांक 15/4/25 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर चक 8 सीडीआर के प0न0 219/251 मु0 47 किलानं0 5/5 /0.0100 नहरी भूमि के पश्चिमी - दक्षिणी कोने तथा किलानं0 6/1/0.2400 नहरी भूमि के पूर्वी - उतरी कोने प्रत्येक में, त्रिभुज के आकर में 0.0005 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है यदि किसी सक्षम न्यायालय-का स्थगन आदेश नहीं हो तो स्वीकृत किये गये रास्ते में आयी भूमि के बदले वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर के दुगुना प्रतिकर राजकोष में प्रार्थी द्वारा जमा करवाये जाने के बाद उक्त स्वीकृत किये गये रास्ते का राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 रास्ता के रूप में अंकन करे।

(सत्यनारायण R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पट्टी सहायक कलक्टर
टिब्बी जिला हनुमानगढ
टिब्बी